



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032024-253301
CG-DL-E-22032024-253301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]
No. 194]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 20 मार्च, 2024

बीमा सलाहकार समिति में रिक्तियों को भरना

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/ 12/206/2024.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अनुच्छेद 25 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000, के विनियम 3 अ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति में रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, जो राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित को नियुक्त किया गया है:-

- श्री राकेश जोशी
- श्री आरिफ खान

देवाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./850/2023-24]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 20th March, 2024

FILLING OF VACANCIES IN THE INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/12/206/2024- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), and in terms of Regulation 3A of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advisory Committee) Regulations, 2000, the Authority hereby makes the following notification for filling of vacancies in the Insurance Advisory Committee which will be effective from the date of publication in the official gazette.

The following are appointed as the members of the reconstituted Insurance Advisory Committee:

1. Shri.Rakesh Joshi
2. Shri. Arif Khan

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./850/2023-24]